राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **51 / 2023** अपील सू.प्र.

उनवान

सज्जन सोडानी निवासी बिगोद जिला भीलवाड़ा	**बनाम**	प्रभारी अधिकारी (न्याय अनुभाग) एवं लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा
––अपीलार्थी		––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

निर्णय

दिनांक : 19-12-.2023

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी (न्याय अनुभाग) एवं लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 16.08.2023 को इस न्यायालय में प्राप्त हुई, जिसमें निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत एक आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा को प्रेषित किया जो सूचना का अधिकार अनुभाग में दिनांक 04.07.2023 को प्राप्त हुआ। उक्त आवेदन पत्र से वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी (न्याय अनुभाग) एवं लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा से संबंधित होने से लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा द्वारा प्रार्थी का आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत दिनांक 06.07.2023 को प्रभारी अधिकारी (न्याय अनुभाग) एवं लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा को अंतरित कर दिया गया।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 21.08.2023 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। अपीलार्थी द्वारा परिकथन प्रस्तुत किया गया। प्रत्यर्थी प्रभारी अधिकारी (न्याय अनुभाग) एवं लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (शहर) भीलवाड़ा द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक 23304 दिनांक 13.09.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं –

1. अपीलार्थी / प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र से वांछित सूचना / जवाब न्याय अनुभाग, कार्यालय हाजा के पत्रांक 22994 दिनांक 07.08.2023 द्वारा अपीलार्थी / प्रार्थी को जरिये डाक प्रेषित कर दी गयी है, किन्तु अपीलार्थी / प्रार्थी द्वारा शुल्क जमा नहीं करवायी जाकर नकल प्राप्त नहीं की है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना / जवाब प्रेषित कर दिये जाने के उपरान्त उनके द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराकर नकल प्राप्त नहीं करने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। अपीलार्थी / प्रार्थी निर्धारित शुल्क जमा कराकर वांछित सूचना प्राप्त करने करें।

आदेश आज दिनांक 19-12-.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।